न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 48/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. लक्ष्मणसिंह पुत्र निहाला सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:---- अपीलाट वादी

बनाम

1 मु0 सुन्दर कौर बेवाह सुन्दरसिंह (फौत)

2 धर्मसिंह

3 गुरूदीप सिंह पुत्रान सुन्दरसिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर हाल निवासी बलखेडा तहसील सतारगंजला जिला नैनीताल उत्तरप्रदेश

4 मलकियत सिंह

5 शेरसिंह पुत्र सुन्दर सिंह

6 गुरनाम सिंह पुत्र सुन्दर सिंह

7 प्रीतमकौर पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख निवासीयान ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा हाल आबाद ग्राम बललखेडा तहसील सतारगंज जिला नैनीताल उ0 प्र0

8 जग्गू सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम शाहबाद तहसी तिजारा जिला अलवर राज0 (फौत)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 28.4.2010

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री जयकृष्ण गुप्ता

निर्णय

दिनांक 16.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा मुकदमा नम्बर 1/159 वर्ष 2002 में पारित निर्णय दिनांक 28.4.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 34 मिन रकबा 2 बीघा, 22 मिन रकबा 10 बिस्वा, 940/186 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, 726 रकबा 3 बीघा 15

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बिस्वा, 32 मिन रकबा 01 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा शरणार्थी होने के नाते वादी एवं उसके भाई सुन्दरसिंह व प्रतिवादी संख्या 8 जग्गूसिंह तथा वादी की माता मु0 हरकौर को राज्य सरकार से शामलात में अलोट हुई थी । चूंकि सुन्दरसिंह परिवार का मुखिया था, इसलिये अलोटमैंट उसके नाम हुआ, जबकि रजिस्ट्रेशन कार्ड में चारों का नाम अंकित है । वक्त अलोटमैंट से ही चारों का कब्जा चला आ रहा है । करीब 35 साल पहले चारों ने आपस में बाहमी बटवारा कर लिया था । उस बटवारे में साबिक खसरा नम्बर 22 मिन रकबा 10 बिस्वा तथा 32 मिन रकबा 01 बीघा तन्हा वादी के हिस्से में आया । शेष आराजीयात वादी की मां हरकौर तथा भाई सुन्दरसिंह, जग्गूसिंह के हिस्से में आई कुल आराजी का कीमत कर्जा जमा कर सनद पटटा लिया और खातेदारी हकूक प्राप्त किये । वादी की माता मु0 हरकौर का देहान्त हो गया और उनका हिस्सा भी हम तीनों भाईयों को प्राप्त हुआ । सुन्दरसिंह अपने हिस्से की भूमि का बेचान करके परिवार सहित नैनीताल चला आ गया तथा जग्गूसिंह हरियाणा में जाकर बस गया । वादी की भूमि ग्राम शाहबाद में शेष बची है । बंदोबस्त विभाग ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 22 मिन रकबा 10 बिस्वा का हाल नम्बर 62 रकबा 12 एयर तथा साबिक खसरा नम्बर 32 मिन का हाल नम्बर 82 रकबा 3 एयर, 85 रकबा 16 एयर कायम किये गये थे । चूंकि सुन्दरसिंह परिवार का मुखिया था, इसलिये अलोटमैंट में उसका नाम अंकित हो गया । सुन्दरसिंह भी फौत हो गया है । उसकी विरासत का इंतकाल नम्बर 1530 दिनांक 30.11.95 को प्रतिवादी नम्बर 1 ला0 7 के नाम स्वीकार हो गया । अब प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से में आई भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते हैं । वादी अपने हिस्से में आई भूमि पर खातेदारी का अंकन कराने का अधिकारी है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसकी यह अपील वादी ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत द्वारा विवादित भूमि को कस्टोडियन मानकर प्रकरण क्षेत्राधिकार में नहीं माना है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कस्टोडियन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नये नियमों के अन्तर्गत कस्टोडियन भूमि को समाप्त करके समस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के राज्य सरकार ने आदेश दिये गये हैं । तहत अदालत ने उक्त नये नियमों का अवलोकन नहीं किया । प्रतिवादीगण द्वारा तहत अदालत में वादी अपीलांट के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया था, फिर भी गलत तौर पर वाद खारिज कर दिया । वादी अपीलांट का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । यह भूमि अकेले सुन्दर सिंह को अलोट हुई थी । शामलात में कोई आवंटन नहीं हुआ था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने इस कथन के समर्थन में 1992 आर0 आर0 डी0 पेज 611 का हवाला दिया । यह भूमि कस्टोडियन है, जिसकी कीमत कर्जा जमा करवाकर हमने पटटा लिया है और खातेदारी प्राप्त की है । कस्टोडियन भूमि को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय का भी अवलोकन किया । विद्वान तहत अदालत ने वादी का यह कहते हुये खारिज किया है कि विवादित भूमि कस्टोडियन है, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न हाल राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से सिद्ध है कि वर्तमान में भूमि कस्टोडियन नहीं है । उस पर खातेदारी दर्ज हो चुकी है । ऐसे में विवादित भूमि के प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । लिहाजा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अत आदे श है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.4.2010 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक-16.5.21--को तहत अदालत में उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर